परिवाद वाद संख्या—1928 / 2015

न्यायालय—अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी(पश्चिमी)
जिला—मुजफ्फरपुर।

परिवाद वाद संख्या—1928 / 2015

विचारण वाद संख्या—2607 / 2019

रजि0नंबर—1928 / 2015

सुदिष्ट ठाकुर उर्फ सुदीश ठाकुर वल्द स्व0 धनेश्वर ठाकुर साकिन मौजा नवानगर निजामत मकरी टोला,थाना—साहेबगंज,जिला—मुजफ्फरपुर।

परिवादी ।

बनाम्

1. चंदेश्वर ठाकुर उम् 50 वर्ष पिता—स्व0 धनराज ठाकुर
2. संतोष ठाकुर उम्र 40 वर्ष पिता—चन्देश्वर ठाकुर
3. सीताराम ठाकुर उम्र 72 वर्ष पिता—स्व0 धनराज ठाकुर
4. चंदेश्वर ठाकुर उम्र 50 वर्ष पिता—स्व0 धनराज ठाकुर
5. कमली देवी उम्र 70 वर्ष पति—सीताराम ठाकुर
6. कैलाशी देवी उम्र 45 वर्ष पति—चंदेश्वर ठाकुर
7. सगुनी ठाकुर उम्र 65 वर्ष पिता—स्व0 दशई ठाकुर
8. बिजली ठाकुर उम्र 60 वर्ष पिता—स्व0 दशई ठाकुर
9. दिनेश ठाकुर उम्र 45 वर्ष पिता—स्व0 रघु ठाकुर

सभी साकिन—नवानगर निजामत,थाना—साहेबगंज,जिला—मुजफ्फरपुर।

अभियुक्तगण।

संज्ञान अंतर्गत धारा—147,323,447,504, / 149 भा0द0वि0

अभियोग का सारांश—147,323,447,504 / ,149 भा0द0वि0
जिला—मुजफ्फरपुर।

परिवादी की ओर से :— श्री राम कुमार सिंह, विद्वान अधिवक्ता।
बचाव पक्ष की ओर से:— श्री बिनोद कुमार, विद्वान अधिवक्ता।

निर्णय की तिथि—03 री दिसम्बर,2019
उपस्थित—विकास मिश्रा, अनुमडल न्यायिक दंडाधिकारी,पश्चिमी,मुजफ्फरपुर।

नि र्ण य

1. इस अपराधिक मामले में अभियुक्तगण नरेश ठाकुर,संतोष ठाकुर,सीताराम ठाकुर,चंदेश्वर ठाकुर,कमली देवी,कैलाशी देवी,सगुनी ठाकुर,बिजली ठाकुर एवं दिनेश ठाकुर के विरूद्ध धारा—147,323,447,504 / ,149 भा0द0वि0 के अंतर्गत आरोपित अपराधों के लिए विचारण किया गया।

2. संक्षेप में परिवादी के परिवाद–पत्र में कहना है कि वे दो भाई हैं जो संयुक्त परिवार हैं तथा जीविकोपार्जन के सिलसिले में बाहर रहते हैं मुदालह लोग परिवादी तथा उसके भाई को सरेआम धमकी देते रहते हैं। जिससे परेशान होकरके अनुमंडल दंडाधिकारी पश्चिमी मुजफ्फरपुर के न्यायालय में उनके आचरण के विरूद्ध सूचनात्मक आवेदन दाखिल किया जिसकी मुदालहगण को जानकारी हुई और उनके द्वारा मजमा बनाकर हंगामा करते हुए परिवादी के दरवाजे पर धमके तथा मुदालह तथा उनके भाई को गाली देने लगे। मुदालह संख्या–1. गाली देते हुए परिवादी के साथ थप्पड़–मुक्का और लात से मारपीट करने लगे जिसे बचाने के लिए गवाह मुदालह संख्या–1. तथा 2 आये तो उन्हें थप्पड़–मुक्का से मारपीट किया मुदालह संख्या–8 कैलाशी देवी ने अमरावती देवी के गले से 30 हजार रूपया नगद तथा एक सोने की सिकड़ी छीन लिया तथा मुदालह संख्या–2. परिवादी के पौकेट से दो हजार रूपया निकाल लिया जो कहे कि खाद खरीदने के लिए उसने रखा था इस तरह परिवाद–पत्र न्यायालय में दाखिल हुआ।

3. परिवादी द्वारा सशपथ बयान तथा जांच साक्षियों की गवाही के पश्चात् दिनांक–08.06.2016 को धारा–147,323,447,504/,149 भा0द0वि0 के तहत सभी मुदालहगण के विरूद्ध समन आदेश पारित किया गया,तत्पश्चात् सभी अभियुक्तगण की उपस्थिति के के पश्चात् दिनांक–12.09.2017 को धारा–147,323,447,504/,149 भा0द0वि के तहत अभियुक्तगण को आरोप का सारांश सुनाया गया जिसे सुनकर उन्होने इनकार किया तथा विचारण की मांग किये।

4. परिवादी की तथा उनके साक्ष्यो की गवाही होने के पश्चात् दिनांक–02.12.2019 को अंतर्गत धारा–313 दप्रस का बयान अभिलिखित किया गया जिससे उन्होनें पूर्णतः इनकार किया।

5. अब न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या परिवादी द्वारा अभियुक्तों के विरूद्ध लगाये गये आरोप को सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे साबित करने में सफल रहा है अथवा ?

मं त व्य

6. परिवादी की ओर से अपने परिवाद–पत्र के समर्थन में कुल 4 गवाहों की गवाही करायी गयी है। जिसमें सी.डबलू.1. सरस्वती देवी हैं। अपने मुख्य परीक्षण में इन्होनें परिवाद–पत्र का समर्थन किया है तथा घटना दो साल पूर्व सोमवार नौ बजे दिन की बतायी है। सभी लोगों ने परिवादी को मारा तथा दो हजार रूपया छीन लिया। कैलाशी देवी ने गोतनी के सोने का सिकड़ी छीन लिया जिसकी कीमत 30 हजार रूपया थी तथा मारपीट किया। सीताराम ठाकुर तथा उनकी पत्नी ने मारेपीटे। प्रति–परीक्षण में इनका कहना है कि हमारे पास डेड़ बिगहा जमीन है सीताराम ठाकुर के साथ बंटवारा

हो गया है। मुदालहों ने हमलोगों पर दो केस किया है हमने भी यह केस किया है जान मारने की धमकी भी देते हैं। प्रहलाद सहनी के घर के पीछे जमीन सीताराम को मिले तथा मुदालह के दरवाजे पर मुदालह सीताराम की जमीन है, मुदईया को मिल जाए पर वह नहीं माने दरवाजे पर वाली जमीन हमको सीताराम नही देते हैं, इसी को लेकर केस हुआ है। आगे इनका कहना है कि केस में सुलह हो गया है। बाताबाती हुई थी कोई चोट नहीं लगा प्रारंभ में दो अभियुक्तगण थे बाद में बारीबारी से और लोग आये अन्य किसी औरत को चोट नहीं लगा।

7. सी.डब्लू–2. पारस ठाकुर हैं जिन्होनें अपनी गवाही में घटना का समर्थन किया है तथा कहते हैं कि मै अपनी बेटी के घर सौगात लेकर आया था। सुदिष्ट ठाकुर समधी है। सभी मुदालहगण आये तथा परिवादी से पूछा कि तुमने आवेदन क्यों दिया है और गाली–गलौज लप्पड़ थप्पड़ से मारने लगे। सुदिष्ट ठाकुर,राजेश ठाकुर की पत्नी बचाने आयी तब कैलाशी उमरावती देवी के गले से सिकड़ी छीन लिया कीमत 25 हजार रूपया होगा। सीताराम सिंह ने दो हजार रूपया भी निकाल लिया सीताराम ठाकुर की पहचान की है। प्रति–परीक्षण में कहते हैं कि मेरे दामाद का नाम मोतीलाल ठाकुर है। मेरे समधी तथा मुदालहगण पट्टीदार हैं दोनों पक्षों के बीच हम पंचायती में गये थे दिन तारीख नहीं याद है। बेटी के घर भी एक महीना में पांच–छः बार जाते हैं। बेटी के शादी के ग्यारह साल हो चुका है पंचायती में क्या हुआ था याद नहीं है उन्हें न तो अन्य गवाहों के बारे में पता है। ना ही शौचालक बनवाने की बात की जानकारी है मारपीट में न तो खून गिरा और न ही मुंह फूटा डाक्टर से ईलाज हुआ या नहीं पता नहीं मेरे अलावा चार–पांच आदमी और थे।

8. सी.डब्लू–3. उमरावती देवी हैं तथा परिवादी उनके भैसूर हैं।,घटना सोमवार नौ बजे दिन की बताती हैं। मुदालह लोग सुदिष्ट ठाकुर को गाली दे रहे थे जिसे सुनकर मै तथा मेरी गोतनी बाहर आयी तो देखी कि मुदालह थप्पड़ से मार रहे थे और जब बचाने गयी तो हमें और हमारी गोतनी को भी मारेपीटे तथा कैलाशी देवी ने मेरे गर्दन से सिकड़ी खींचा सुदिष्ट ठाकुर के पौकेट से सीताराम ने दो हजार रूपया निकाल लिया तथा न्यायालय में सीताराम ठाकुर की पहचान भी की है। प्रति–परीक्षण के पैरा–4 में कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि मुदालह तथा हमारे बीच जमीनी विवाद है या नहीं। मेरे घर से तीन घर बाद है। मेरे दरवाजे के सामने मुदालह ने कहा था कि मेरी जमीन है हम इसे शौचालय बनायेगें। अस्पताल में ईलाज नहीं कराये घर के किसी व्यक्ति ने ईलाज नहीं कराये। मुदालह ने हमारे घर वालों पर केस नहीं किया है। पैरा–12 के अनुसार घर के पुरब वाले तार की पेड़ वाली जमीन बदलैन में पंचों द्वारा मुदालह को दिया गया था। थाने में गये,पता नहीं। नहीं मुदालह ने हमारे विरूद्ध दो केस किया है एक केस हमारे तरफ से है।

9. सी.डब्लू–4. स्वयं परिवादी सुदिष्ट ठाकुर हैं जिन्होने अपने मुख्य परीक्षण में

परिवाद–पत्र का समर्थन किया है तथा घटना चार वर्ष पूर्व और नौ बजे सोमवार की बतायी है। सभी अभियुक्तगण आकरके गाली देने लगे। चन्देश्वर ठाकुर गला दबाने से मना किया तो लप्पड़–थप्पड़ से मारन मारने लगा। सरस्वती देवी उमरावती देवी बचाने आयी तो कैलाशी देवी ने गर्दन से सिकड़ी छीन लिया तथा मारपीट किये आज सीताराम और दिनेश ठाकुर आये हैं। प्रति–परीक्षण में उन्होने मुकदमा नहीं लड़ने की बात कही है तथा सभी केस में सुलह होने की बात कही है। साधारण वाद–विवाद बताया तथा मुदालहों ने एक–एक करके आये हमारे अलावा घटना को किसी ने नहीं देखी।

10. बचाव पक्ष की ओर से कोई दस्तावेजी या मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे आरोपित धाराओं के अंतर्गत अपराध सिद्ध हो सके। अन्य गवाह में पीड़िता सरस्वती देवी तथा उमरावती देवी हैं जिनका मारपीट हुआ। उनके द्वारा कोई ऐसा तथ्य नही लाया है जिससे आरोपित धाराओं के अंतर्गत अभियुक्तों द्वारा किये गये अपराध युक्तियुक्त संदेहों से परे सिद्ध हो सके। साक्ष्यों की कथनों में परस्पर विरोधाभाष है। ऐसी स्थिति में परिवादी प्रस्तुत वाद में गठित अपराध को साक्ष्यों द्व ारा युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः

आ दे श

11. उपरोक्त तथ्यों तथा परिस्थितियों को देखने के पश्चात् न्यायालय यह आदेशित करती है कि अभियुक्तगण नरेश ठाकुर,संतोष ठाकुर,सीताराम ठाकुर,चंदेश्वर ठाकुर,कमली देवी,कैलाशी देवी,सगुनी ठाकुर,बिजली ठाकुर एवं दिनेश ठाकुर पर लगाये गये आरोप अंतर्गत धारा–147,323,447, 504/,149 भा0द0वि0 के तहत साबित नहीं कर पाये हैं तथा साक्ष्य के अभाव में सभी अभियुक्तगण को आरोपित अपराध से दोषमुक्त किया जाता है तथा उनके जमानतदारो को बंधपत्र के दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

(विकास मिश्रा)
अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी पश्चिमी,
मुजफ्फरपुर।

निर्णय मेरे द्वारा आज खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित,दिनांकित एवं उद्घोषित किया गया।

(विकास मिश्रा)
अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी पश्चिमी,
मुजफ्फरपुर।
दिनांक–03.12.2019